प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3005/2007

याचिकाकर्ता कमता प्रसाद सेन एवं अन्य

बनाम

उत्तरवादीगण - राजमंती उर्फ राजवा व एक अन्य

आदेश हेतु दिनांक 25.06-2007 को सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3005/2007

याचिकाकर्ता - 1. कमता प्रसाद सेन, पिता स्व. रघुवीर प्रसाद सेन, आयु लगभग 65 वर्ष।

2. पन्नालाल सेन, पिता कमता प्रसाद सेन, आयु लगभग 48 वर्ष।

3. विजय कुमार सेन, पिता कमता प्रसाद सेन, आयु लगभग 30 वर्ष।

सभी निवासी वार्ड क्रमांक 5, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)

बनाम

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उत्तरवादीगण - 1. राजमंती उर्फ राजवा, पति चिंतामणि सेन, आयु लगभग 50 वर्ष।

2. चिंतामणि सेन, पिता स्व. वासुदेव प्रसाद सेन, आयु लगभग 58 वर्ष।

दोनों निवासी वार्ड क्रमांक 17, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.)

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

....

उपस्थित:

श्री प्रफुल्ल भारत, अधिवक्ता, याचिकाकर्तागण की ओर से।

श्री संजय के. अग्रवाल, अधिवक्ता, उत्तरवादीगण की ओर से।

....

आदेश

(दिनांक 25.06-2007 को पारित)

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत इस याचिका द्वारा, याचिकाकर्तागण दिनांक 31.01.2007 (अनुलग्नक पी./4) को व्यवहार न्यायाधीश, श्रेणी-II, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया द्वारा पारित आदेश की वैधता एवं औचित्यता को चुनौती देते हैं, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत वादपत्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन पर पारित किया गया है।

2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्तागण ने दिनांक 01.07.1999 को घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल वाद दायर किया। उत्तरवादी क्रमांक 1 एवं 2 की ओर से लिखित कथन दिनांक 23.07.1999 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात, याचिकाकर्तागण ने दिनांक 07.03.2006 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अनुलग्नक पी./3 के रूप में आवेदन प्रस्तुत कर वादपत्र में संशोधन हेतु कंडिका 9-क को सम्मिलित करने का निवेदन किया, जो इस प्रकार है :-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

> "(अ) यह कि वादी उत्तरवादी गण ने वादग्रस्त मकान मे वादी के ताले के उपर जो अपना ताला लगाया था उक्त मकान में वाद के दौरान उत्तरवादी गण ने कब्जा कर लिया है इस कारण वादी गण को वादग्रस्त मकान पर कब्जा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।"

3. यह कि अनुतोष खंड में भी याचिकाकर्ता द्वारा निम्नानुसार संशोधन किए जाने का निवेदन किया गया :-

> "यह कि वाद ग्रस्त मकान का कब्जावादी गण को उत्तरवादी गण से दिलाया जावे"

4. यह कि माननीय विचारण न्यायाधीश ने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि याचिकाकर्ता को वाद संपत्ति पर उसके ताले के ऊपर उत्तरवादियों द्वारा ताला लगाए जाने के तथ्य की जानकारी थी। अतः पश्चातवर्ती रूप से कब्जा प्राप्त करने के लिए मांगा गया संशोधन न्यायसंगत नहीं है। परिणामतः, उक्त

संशोधन आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के प्रावधान के अधीन निरस्त कर दिया गया।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि वाद की लंबितावस्था के दौरान उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता के ताले के ऊपर अपना ताला लगा दिया तथा बलपूर्वक वाद संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया। अतः उक्त परिस्थितियों में वाद में कब्जा प्राप्त करने की प्रार्थना सहित संशोधन किया जाना आवश्यक था।

6. उत्तरवादीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिका को इस प्रकार निराकृत किया जाए जिससे वाद का शीघ्र निराकरण संभव हो सके।

7. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपेक्षित संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती, तो घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत वाद असमर्थनीय हो जाएगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***संपत कुमार बनाम अय्याकन्नु***[1] प्रकरण में निम्नलिखित अवधारित किया है :

> "**7.** हमारे मत में, प्रस्तावित संशोधन से वाद की मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो परिवर्तन अपेक्षित है, वह केवल वादी द्वारा मांगे गए अनुतोष की प्रकृति में है। विचारण न्यायालय के मतानुसार वादी के लिए एक नवीन वाद प्रस्तुत करना संभव था, और यही एक कारण रहा जिससे विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने संशोधन आवेदन को अस्वीकार किया। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यदि वादी के लिए स्वतंत्र वाद प्रस्तुत करना अनुमेय है, तो वही प्रतिकार, जो नए वाद में मांगा जा सकता है, लंबित वाद में सम्मिलित करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, संशोधन की अनुमति देने से न्यायिक कार्यवाहियों की बहुलता को रोका जा सकेगा।"

---
1 (AJR 2002 SC 3369)

आगे यह भी अभिलक्षित किया गया :

"**11.** वर्तमान प्रकरण में संशोधन का आवेदन वाद संस्थापन की तिथि से लगभग 11 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया है। वादी इस बात से वंचित नहीं है कि वह उन्हीं मूल तथ्यों के आधार पर, जो स्थायी निषेधाज्ञा हेतु लंबित वाद में उल्लिखित हैं, स्वत्व की घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति हेतु नवीन वाद दायर कर सके। तथापि, वादों की बहुलता से बचने के उद्देश्य से, लंबित वाद में ही स्वत्व की घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति का प्रतिकार सम्मिलित करने की अनुमति देना न्यायोचित होगा। वादी ने यह भी कथित किया है कि अब जो प्रतिकार जोड़े जाने हेतु अपेक्षित हैं, उनका वाद हेतुक की लंबितावस्था के दौरान उत्पन्न हुआ है। संशोधन के माध्यम से जो कथन जोड़े जाने हैं, उनकी सत्यता अथवा गुण-दोष का परीक्षण इस स्तर पर नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, उत्तरवादी का यह तर्क उचित है कि यदि उसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपना अधिकार परिपूर्ण कर लिया है, तो ऐसे अर्जित अधिकार को इस प्रकार के संशोधन की अनुमति देकर निष्प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए, जिससे नया प्रतिकार वाद की मूल तिथि से प्रभावी माना जाए और उत्तरवादी को समय के प्रवाह से प्राप्त लाभ से वंचित कर दिया जाए। उत्तरवादी के हितों की रक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि जहाँ तक अब मांगे जा रहे कब्जे के प्रतिकार का संबंध है, उसे उस तिथि से प्रभावी माना जाए जिस दिन संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।"

9. इसके अतिरिक्त, ***मेहर चंद दास बनाम लाल बाबू सिद्दीकी एवं अन्य***[2] प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कब्जा प्राप्ति की प्रार्थना किए बिना केवल घोषणा के वाद की ग्राह्यता के संबंध में निम्नलिखित अभिमत व्यक्त किया है :

"**9.** विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 इस प्रकार है :

'34. प्रास्थिति की या अधिकार की घोषणा के बारे में न्यायालय का विवेकाधिकार कोई व्यक्ति, जो किसी विधिक हैसियत का या किसी सम्पत्ति के

2 (2007 AIR SCW 2024)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बारे में किसी अधिकार का हकदार हो, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो ऐसी हैसियत का या ऐसे अधिकार के हक का प्रत्याख्यान करता हो या प्रत्याख्यान करने में हितबद्ध हो, वाद संस्थित कर सकेगा और न्यायालय स्वविवेक में उस वाद में यह घोषणा कर सकेगा कि वह ऐसा हकदार है और वादी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उस वाद में किसी अतिरिक्त अनुतोष की मांग करे :

परन्तु कोई भी न्यायालय वहां ऐसी घोषणा नहीं करेगा जहां कि वादी हक की घोषणा मात्र के अतिरिक्त कोई अनुतोष मांगने के योग्य होते हुए भी वैसा करने में लोप करे।

12. हमारे मत में, उच्च न्यायालय ने *विनय कृष्णा* (पूर्वोक्त) के निर्णय का अवलंब न लेते हुए स्पष्ट त्रुटि की है। उक्त निर्णय में विधि का यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि यदि वादी कब्जे में है, तो केवल घोषणा हेतु वाद ग्राह्य होगा; इसका तार्किक निष्कर्ष यह है कि यदि वादी कब्जे में नहीं है, तो केवल घोषणा का वाद ग्राह्य नहीं होगा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि जब वादीगण (याचिकाकर्तागण) वाद संपत्ति के कब्जे में थे, तब घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दायर वाद ग्राह्य था। किन्तु वाद की लंबितावस्था के दौरान प्रतीत होता है कि उत्तरवादियों द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया, फलस्वरूप यदि याचित संशोधन द्वारा उपयुक्त प्रतिकार प्रदान नहीं किया जाता, तो वाद असमर्थनीय हो जाएगा।

11. समस्त पहलुओं से विचार करने पर यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है और तदनुसार स्वीकार की जाती है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur